

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम:- नसीराबाद

गोपाल सिंह बनाम लालू राय

किस्म मुकदमा :- 188, 92 P रा. काश्त. अधि. 1955 110/17 प्रकरण संख्या 110 सन् :- 17

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

28-7-17 अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद प्रस्तुत किया वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 26-8-17 को पेश हो। *am*  
उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

1788-95  
318/17

26-8-17 पीठासीन अधिकारी के आज मुख्यालय से बाहर दौरे/अवकाश पर होने/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 6-11-17 को पेश हो।  
 आदेशानुसार  
*[Signature]*  
 रीडर

6/11/17 पीठासीन अधिकारी के आज मुख्यालय से बाहर दौरे/अवकाश पर होने/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 5-12-17 को पेश हो।  
 आदेशानुसार  
*[Signature]*  
 रीडर

5-12-17 पीठासीन अधिकारी के आज मुख्यालय से बाहर दौरे/अवकाश पर होने/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 05-02-2018 को पेश हो।  
 आदेशानुसार  
 रीडर

5-2-18 वकील वादी ने पारिष्कार किया कि वे वाद पत्रावली को पेश नहीं करते हैं। नवी अधिवक्ता ने निवेदन पर वाद नोट उक्त में खारिज किया जाता है जहाँकी जैजल शुणाए हो वर नम्बर के कप हो व वादिल वकालत है *h*  
 उपखण्ड अधिकारी  
 नसीराबाद (अजमेर)

राज अश्र  
 5/2/18